

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- ई/चि.अ./ए- /2015/

दिनांक :

-: आदेश :-

डॉ० आनन्द शर्मा, चि०अ०, प्रा०स्वा०केन्द्र, दिगोद (कोटा) को इनके विरुद्ध विचाराधीन विभागीय जाँच प्रकरण में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है ।

निलम्बन काल के दौरान उक्त नियम के तहत इन्हें इनके अवकाश वेतन के बराबर उस सीमा तक यदि वे अर्द्धवेतन अवकाश पर रहते के बराबर इन्हें निलम्बन काल में निर्वाह भत्ता एवं ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होंगे।

निलम्बन काल के दौरान इनका मुख्यालय निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज०जयपुर के कार्यालय में रहेगा।


59  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- ई/चि.अ./ए- /2015/ 802

दिनांक : 7-10-15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राज०सरकार, जयपुर को उक्त प्रकरण में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज०जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/जाँच) विभाग, राज०जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निलम्बन आदेश की पुष्टि करवाने का श्रम करें।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2)विभाग, राज० जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-कोटा।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को डॉ० आनन्द शर्मा के नाम की प्रति भेजकर लेख है कि संलग्न आदेश डॉ० शर्मा को तामील करके तामील रसीद भिजवायें एवं डॉ० आनन्द शर्मा को निलम्बन पर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु आज ही कार्य-मुक्त कर सूचित करावें तथा इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार कर 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अधो-हस्ताक्षरकर्ता को भिजवाना सुनिश्चित करें।
8. डॉ० आनन्द शर्मा, चि०अ० द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा।
9. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित सीबी अनुभाग, मुख्यालय।
10. प्रभारी, ए.टी.सैल/डी.पी.सी. सैल मुख्यालय।
11. आदेश/रक्षित पत्रावली।
12. प्रभारी सचिव, राज० जयपुर के निलम्बित अधिकारी को सूचित कर लेख है कि उक्त आदेश को बसाइल पर हल करें।

  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर।